संख्या: 43/2019/2884/12-2-2019-बजट.3/2010

प्रेषक,

जे0 पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कृषि निदेशक,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृषि अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 22 अक्टूबर, 2019

विषय: वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म 102-खाद्यन्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी में त्रैमासिक आधार पर रूपये 100.00 करोड के एक मुश्त अग्रिम भुगतान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या: 35/2019/2728/12-2-2019-बजट.3/2010 दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रूपए 120000.00 लाख (रूपए बारह सौ करोड मात्र) में से तृतीय किश्त की शेष धनराशि रू0 100.00 करोड (रूपए एक अरब मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि स्वीकृत की जा रही धनराशि को एकमुश्त अवमुक्त करते हुए आहरण हेतु स्वीकृति आदेश निर्गत किया जाएगा। रूपए 100.00 करोड की धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराए जाने के उपरान्त शेष धनराशि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन को उपलब्ध कराई जाएगी।

2. इस प्रकार जारी वित्तीय स्वीकृतियों के अन्तर्गत कोषागार से धन का आहरण विद्यमान व्यवस्था के अनुसार व्यय की आवश्यकता होने पर ही किया जायेगा।

3. यह भी सुनिश्चित किया जाये कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा हो। उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग किसी भिन्न प्रयोजन के लिए किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा।

4. शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। इसके साथ-साथ राजकीय धन व्यय करने में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डर्ड आफ फाइनेन्शियल प्रोपाइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये।

5. यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। व्यय करने के पूर्व यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये।

6. उक्त मद में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनेत्तर-102-खाद्यान्नों की फसलें-05-कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए कृषकों के निजी नलकूपों को विद्युत आपूर्ति हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम को अनुदान योजना के मानक मद-27-सब्सिडी योजनान्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

7. व्यय से संबंधित समस्त लाभार्थियों का विवरण विभागीय वेबसाइट पर डाली जायेगी।

8. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या: 1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च 2019 में विहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त शासनादेश सभी विभागाध्यक्षों को भी पृष्ठांकित की गयी है।

भवदीय,

(जे0 पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या: 43/2019/2884 (1) /12-2-2019 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम/द्वितीय/प्रधान महालेखाकार (सिविल/आडिट)-प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. वित्त नियंत्रक, कृषि भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन द्वारा कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्रत्येक माह उपयोगिता प्रमाण-पत्र कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराने के उपरान्त अवशेष धनराशि प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।
7. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1/बजट अनुभाग-1/2/कृषि अनुभाग-5/नियोजन अनुभाग-3
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(जे0 पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।